

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 6(05) कृषि-1/2018

जयपुर, दिनांक :- 01.10.2020

आदेश

“राजस्थान कृषि सेवा नियम-1960” के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर संयुक्त निदेशक, कृषि (वि०) के पद से अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) के पद पर वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के प्रति चयन के उपरान्त निम्नांकित को योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

| क्र० स० | नाम | पात्रता क्रमांक | सूची | रिक्ति की दिनांक |
|------------|----------------------|--------------------|------|------------------|
| 1. | श्री जगपाल सिंह | 02 | | 01.08.2020 |
| 2. | श्री जगवीर सिंह संधु | 04 | | 01.09.2020 |

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं, किन्तु पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किए जाने के उपरान्त पदोन्नत अधिकारियों को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से ही पदोन्नत का वास्तविक नकद लाभ देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

—Sd—
(डॉ०एस०पी० सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग राज० जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (कार्यवाही विवरण की प्रति सहित)।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत आयुक्त, कृषि विभाग, राज० जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

P.T.O.


राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक- प.1(1)(जी-36)निकृ/गुप-6/2638-41

दिनांक : 1-10-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कृषि आयुक्तालय जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) कृषि आयुक्तालय जयपुर।
3. ए.सी.पी. मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय बेवसाइट पर उपलोड करवाने का श्रम करावे।
4. संबंधित अधिकारी श्री.....
5. निजी / आरक्षी पत्रावली।


(सीताराम जाट) 01/10/20
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)